पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

महेंद्र राम और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2018 का आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 169

12 दिसंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान, न्यायाधीश)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या नौतन (जगदीशपुर) थाना कांड संख्या 36/2012 से उत्पन्न एस.टी. संख्या 444/2012 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302, 201 सहपठित 34—हत्या—सूचक ने फर्दबयान में ही कहा है कि भूमि विवाद के कारण उसके भाई की अपीलकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई—सिर कटा शव बरामद हुआ—अभियोजन पक्ष द्वारा जब्ती सूची के किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई—मृतक का पाया गया सिर और शरीर का अन्य हिस्सा एक ही व्यक्ति का था या नहीं, इसकी चिकित्सकीय जांच/पुष्टि नहीं की गई—जब्त चाकू को विश्लेषण के लिए और शव और सिर को जोड़ने के लिए एफएसएल नहीं भेजा गया—न तो डीएनए परीक्षण किया गया और न ही कोई विशेष परीक्षण किया गया।

निर्णीत: वस्तुओं के साथ-साथ मृतक के सिर की खोज विधिवत साबित नहीं हुई है—परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या की है—अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है—ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषी ठहराए जाने और सजा के आदेश पारित करते समय गंभीर गलती की है—दोषी

ठहराए जाने और सजा के आदेश के विवादित फैसले को खारिज और अलग रखा गया है—अपीलकर्ताओं को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है—अपील स्वीकार की जाती है।

(पैराग्राफ 19, 24, 25 और 27)

न्याय दृष्टान्त

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1984) 4** एससीसी **116—भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

सिर कटा शव, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, डीएनए, एफएसएल।

प्रकरण से उत्पन्न

नौतन (जगदीशपुर) थाना कांड संख्या 36/2012 से उद्भूत एस.टी. संख्या 444/2012 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चम्पारण द्वारा पारित दिनांक 14.11.2017 के दोषसिद्धि निर्णय एवं दिनांक 22.11.2017 के सजा आदेश से ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री बक्सी एस.आर.पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आदित्य नाथ झा, अधिवक्ता, श्री रणधीर कुमार, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: दिलीप कुमार सिन्हा, ए.पी.पी.

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 169/2018

थाना कांड संख्या-36 वर्ष-2012 थाना- नौतन जिला- पश्चिमी चंपारण से उत्पन्न

==========

1. महेन्द्र राम, चनार राम का पुत्र, गाँव-जमुनिया दक्षिण तोला, पुलिस स्टेशन-जगदीशपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।
2. संतोष राम, भुलन राम का बेटा गांव-जाखड़ा गोपालपुर, पुलिस स्टेशन-गोपालपुर, जिला-पश्चिम चंपारण के निवासी है।
3. सुनील राम, हरिहर राम का पुत्र, गाँव-भानाचक, पुलिस स्टेशन-मझौलिया, जिला-पश्चिम चंपारण का निवासी है।
4. शिव राम, भोला राम का पुत्र, गाँव-जमुनिया दक्षिण तोला, पुलिस स्टेशन-जगदीशपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

बिहार सरकार

..... प्रतिवादी

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थियों के लिए : श्री बख्शी एस. आर. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री आदित्य नाथ झा, अधिवक्ता
श्री रणधीर कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली द्वारा)

तारीखः13-12-2024

वर्तमान अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा- 374(2) और 389(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जो कि नौतन (जगदीशपुर) पी.एस. से

उत्पन्न एस.टी. संख्या 444/2012 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चंपारण द्वारा दिनांक 14.11.2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 22.11.2017 को पारित सजा के आदेश से उत्पन्न हुई है। 2012 का मामला संख्या 36, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201/34 (जिसे आगे 'आईपीसी' कहा जाएगा) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 201/34 के तहत अपराध के लिए पांच साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह-छह महीने के कठोर कारावास का आदेश दिया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है और विचाराधीन अवधि को सजाओं में गिना जाएगा।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:

2.1. अभियोजन का मामला सूचक नगीना राम के फर्द-बयान पर आधारित है, जिसे दिनांक 12.02.2012 को जगदीशपुर थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा लगभग 21.10 बजे दर्ज किया गया था, कि उसके दादा एवं उसके सह-ग्रामीण अयोध्या ठाकुर के बीच 4 बीघा 2 कट्ठा एवं 11 धुर जमीन को लेकर पिछले 12 वर्षों से विवाद चल रहा था, तथा उस संबंध में सब-जज के समक्ष टाइटल सूट लंबित था। उक्त विवाद के संबंध में दिनांक 01.02.2012 को दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके लिए दिनांक 12.02.2012 को मुखिया एवं सरपंच की उपस्थिति में स्थानीय पंचों द्वारा पंचायती की गई थी, तथा विवाद का समाधान किया गया था। उसी शाम जब उसका भाई सीताराम (मृतक) बाजार से वापस लौट रहा था, तो उसके घर पर मोबाइल पर करीब साढ़े सात बजे सीताराम के मोबाइल से एक संकटपूर्ण कॉल आई, जिसमें उसने लड़खड़ाती आवाज में बताया कि जमीन विवाद के कारण उसकी हत्या

की जा रही है, जिसके बाद कॉल कट गई और जब उन्होंने वापस कॉल किया, तो मोबाइल बंद मिला। इसके बाद वे बाजार की ओर भागे और रास्ते में उन्हें शिवराम मिला और उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने सीताराम राम को देखा है जो उसके साथ बाजार गया था। इस पर उसने कहा कि उसने उसे नहीं देखा है और मृतक उसके साथ बाजार नहीं गया था। इसके बाद वे आगे बढ़े और थोड़ा आगे पहुंचने पर उन्हें जमुनिया कब्रिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते पर खून का निशान दिखाई दिया। खून का निशान नदी की ओर जाता था। जब उन्होंने उसका पीछा किया, तो धनौती नदी के किनारे कीचड़ में मृतक का सिर कटा शव पड़ा था और उसका सिर गायब था। शव की पहचान मृतक के कपड़ों और दाहिने पैर पर पुराने जख्म के निशान से हुई। भूमि विवाद के कारण बलिराम ठाकुर, शंभू ठाकुर, इंद्रासन ठाकुर, भरत ठाकुर, हरिंदर ठाकुर, अयोध्या ठाकुर, मुन्नी लाल ठाकुर, मनोज ठाकुर, अशोक ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर, महेंद्र राम, शिव राम, प्रमोद यादव सभी जमुनिया दक्षिण टोला, किशुनी महतो, चंद्रदेव प्रसाद और फेकू ठाकुर, कोदई महतो सभी जमुनिया दक्षिण टोला, थाना जगदीशपुर, जिला पश्चिमी चंपारण हमेशा जान से मारने की धमकी देते थे और उस दिन जब मृतक जगदीशपुर बाजार से घर लौट रहा था, तो रास्ते में इन लोगों ने उस पर हमला कर धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। सूचक ने अपने फर्द-बयान में आगे कहा है कि उसका यह दृढ़ विश्वास है कि उपरोक्त लोगों ने आपसी मिलीभगत से मृतक को रास्ते में घेरकर उसका सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी है।

2.2. सूचक के *फर्द-बयान* के बाद जगदीशपुर थाने में नौतन (जगदीशपुर) थाना कांड संख्या 36/2012 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 302, 201/120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v)(vi) के तहत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई।

2.3. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दिनांक 01.08.2012 के आदेश के तहत संज्ञान लेने के बाद इसे धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 444/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया।

3. ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 06 गवाहों की जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए। इसके बाद, आरोपियों का धारा-313 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

3.1. मुकदमे के समापन के बाद, ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का विवादित फैसला और सजा का आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ताओं/दोषियों ने वर्तमान अपील पेश की है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बक्सी एस.आर.पी. सिन्हा को श्री आदित्य नाथ झा और श्री रणधीर कुमार और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान ए.पी.पी. श्री दिलीप कुमार सिन्हा द्वारा सहायता प्राप्त सुना गया।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किया है, जिसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि दर्ज की है।

5.1. यह तर्क दिया गया है कि पी.डब्लू. 2, जो जब्ती सूची का गवाह है, ने जिरह के दौरान कहा है कि उसकी मौजूदगी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यह भी कहा गया है कि पी.डब्लू. 3, जो सूचक है, ने पैरा 8 में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि वह विचाराधीन घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और संदेह के आधार पर तथा पक्षों के बीच भूमि विवाद के कारण उसने अभियुक्त का नाम बताया था और वास्तव में उसे अभियुक्त के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि *दरोगा जी* ने उसे *फर्द-बयान* नहीं पढ़कर सुनाया था और उसे चप्पल के बारे में जानकारी नहीं है।

5.2. यह भी कहा गया है कि पी.डब्लू. 4, 5 और 6 पुलिस अधिकारी हैं और पी.डब्लू. 4 जांच अधिकारी (आई.ओ.) है, जिसने जांच की है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीडब्लू 4 के बयान का संदर्भ दिया और उसके बाद प्रस्तुत किया कि उक्त गवाह ने अदालत के समक्ष यह बयान दिया है कि अपराध का मकसद यह है कि आरोपी महेंद्र राम की दूसरी पत्नी का मृतक के साथ प्रेम संबंध था और इसलिए मृतक की हत्या की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके मकसद साबित करने में विफल रहा है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीडब्लू 4 ने अदालत के समक्ष यह बयान दिया है कि विभिन्न आरोपियों के इकबालिया बयान के आधार पर मृतक के अलग-अलग सामान बरामद किए गए हैं और यहां तक कि मृतक का सिर और अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी संबंधित आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया। हालांकि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी में से एक की निशानदेही पर बरामद किया गया सिर मृतक का था या नहीं। यहां तक कि हत्या के हथियार यानी चाकू पर भी खून के धब्बे नहीं थे और उक्त चाकू को भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में जांच के लिए नहीं भेजा गया था। उक्त गवाह ने यह भी

स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल से खून के धब्बे वाली कोई मिट्टी जब्त नहीं की। यहां तक कि मृतक की चप्पल, मफलर समेत तथाकथित जब्त की गई विभिन्न वस्तुएं भी विधिवत साबित नहीं हुईं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, यह अदालत आरोपित फैसले और आदेश को रद्द कर सकती है।

6. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। हालांकि, पीडब्लू 4 द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि विभिन्न अभियुक्तों के इकबालिया बयान के आधार पर मृतक के अलग-अलग सामान यानी चप्पल और मफलर बरामद किए गए। इसके अलावा, सिर, जो शरीर से अलग हो गया था, एक अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। इसी तरह, चाकू, जो अपराध करने में इस्तेमाल किया गया था, भी एक अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। इस प्रकार, पीडब्लू 4, आईओ के बयान से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किया है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, विद्वान एपीपी ने आग्रह किया कि अपील को खारिज किया जाए।

7. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है। इस स्तर पर, गवाहों के साक्ष्य के प्रासंगिक अंश पर विचार करना उचित है। अभियोजन पक्ष ने 06 गवाहों की जांच की है।

8. पीडब्लू 1, डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, जो उस समय एमजेके अस्पताल बेतिया में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे, ने मृतक सीताराम के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित पाया: -

"ए. <u>बाहरी परीक्षण</u>- सिर, चेहरे और गर्दन पर केवल काले बाल हैं, गर्दन से दुर्गंध आ रही है।

(ii) चौड़े मध्य भाग 6"x4.5"x हड्डी के कटे हुए हिस्से पर एक चीरा हुआ घाव।

विच्छेदन पर-

बी. उपरोक्त चोटों की पुष्टि हुई।

गर्दन पर तेज काटने वाले पदार्थ से चोट लगी है।

3. मृत्यु के बाद से बीता समय- 10 से 15 दिन।

4. मृत्यु का कारण- गर्दन पर तेज काटने वाले घाव के कारण सदमा और रक्तस्राव।"

8.1. अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने यह बयान दिया है कि उक्त *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट उनके कलम और हस्ताक्षर से तैयार की गई है तथा उस पर एक्सटेंशन-1 अंकित है तथा उनके हस्ताक्षर पर एक्सटेंशन-1/ए अंकित है।

8.2. उन्होंने यह भी बयान दिया कि शव का वजन नहीं किया गया था। शव का रंग काला था। सिर और गर्दन की जांच की गई तथा उन्होंने इसे शव माना है, क्योंकि यह शरीर का ही हिस्सा है। *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट में विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग रंग का उल्लेख नहीं है।

8.3. उन्होंने यह भी बयान दिया है कि सिर पर काले बाल थे। सिर पर खून नहीं लगा था। बालों के अलावा कहीं खून नहीं मिला। घाव की माप की गई। मृतक की पहचान के बारे में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में मृत्यु का अनुमानित समय बताया गया है। शव की जांच से पता चला कि गर्दन को धारदार हथियार से काटा गया था। चेहरे पर आंखें और कान दबे हुए थे। आंख और कान नहीं कटे थे। मुंह खुला था या नहीं, इसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। दांतों की मौजूदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

8.4. उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं की है और उनके द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनकी रिपोर्ट एक साधारण टेबल वर्क है और वे गलत रिपोर्ट पर गवाही दे रहे हैं।

8.5. पी.डब्लू. 1 से जिरह नहीं की गई।

9. पी.डब्लू. 2, नागेन्द्र राम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना लगभग पांच माह पूर्व घटित हुई थी। सीताराम (मृतक) की मृत्यु घटना के दिन ही हो गई थी। उसकी हत्या की गई थी। उसे नहीं मालूम कि सीताराम की हत्या किसने और क्यों की। उसने इसकी जानकारी भी नहीं दी है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया। उसने स्वीकार किया कि जब्ती सूची में उसके अंगूठे का निशान है। घटनास्थल से लखानी कंपनी की एक जोड़ी चप्पल बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया। यद्यपि उसने शिव राम को पहचान लिया, जो न्यायालय में खड़ा था, परन्तु उसने बयान दिया कि वह दूसरे या तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं जानता, जो सुनील राम और संतोष राम थे और न्यायालय में खड़े थे, तथा उन्हें नहीं पहचान पाया।

9.1. अपने जिरह में उसने बयान दिया कि वह घटना के 10 दिन बाद बाहर से आया था, तथा उसके सामने कुछ भी बरामद नहीं हुआ, तथा जिसे उसने पहचाना है, वह सुनील राम और संतोष राम है।

10. पी.डब्लू. 3, नगीना राम, जो सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि वह अपने भाई सीताराम की हत्या के लिए दर्ज मामले का सूचक है। यह 12 मार्च की बात है और घटना 5-5.5 साल पहले की है। उसे हत्या का कारण नहीं पता है। आरोपियों के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। घटना के दिन जब वह अपने दरवाजे पर बैठा था, तो उसके भाई सीताराम ने उसे फोन करके कहा, "मैं सीताराम हूं। मुझे बचाने कोई नहीं आ रहा है।" इसके बाद वह गांव के लोगों के साथ अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। जब वे आगे बढ़े, तो उन्हें कब्रिस्तान में खून के निशान मिले। जब वे आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसके भाई का सिर काटकर उसे नदी (धनौती) के किनारे फेंक दिया था। वह मृत पड़ा था। उसने आगे बयान दिया है कि सूचना मिलने पर पुलिस आई और उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने इंद्रासन ठाकुर, अयोध्या ठाकुर, मुन्नीलाल ठाकुर, आशीष ठाकुर, फेंकू ठाकुर, इंद्रासन ठाकुर, जोगिंदर ठाकुर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फर्द-बयान सूचक को पढ़कर सुनाया गया और एफआईआर को प्रदर्श-2 के रूप में अंकित किया गया। सूचक ने एफआईआर को सही पाते हुए उस पर अपना अंगूठा लगाया। उसने बयान दिया कि वह सभी आरोपियों को पहचानता है। उसने शिवराम को पहचाना, जो अदालत में खड़ा था और बयान दिया कि वह बाकी लोगों को भी चेहरे से पहचान लेगा। उसने आगे बयान दिया कि पुलिस ने जब्ती सूची पर उसका अंगूठा भी लगाया। पुलिस ने उसके भाई की चप्पल जब्त की थी। जब्ती सूची को प्रदर्श-3 के रूप में अंकित किया गया है। उसने बयान दिया कि उसने एक अन्य जब्ती सूची पर भी अपने हस्ताक्षर किए हैं।

10.1. अपनी जिरह में पी.डब्लू. 3 ने बयान दिया है कि वह उस पुलिस अधिकारी का नाम नहीं जानता, जिसने उसका बयान लिया था। उसने आरोपी को हत्या करते नहीं देखा। उन्होंने जमीन विवाद के कारण संदेह के आधार पर आरोपियों के नाम बताए थे। महेंद्र राम, शिव राम, संतोष राम और सुनील राम से उनका कोई विवाद नहीं है और वह उनके खिलाफ मामला नहीं चलाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दरोगा जी ने मुझे बयान नहीं पढ़कर सुनाया। उन्हें नहीं पता कि जिन कागजों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उन पर क्या लिखा था। उन्हें नहीं पता कि किसकी चप्पलें जब्त की गईं। चूंकि आरोपी उनके गांव के हैं, इसलिए वह उन्हें पहचानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके गांव में छिनतई की कई घटनाएं हुई हैं।

11. पीडब्लू 4, राजेश कुमार झा, जांच अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि उन्होंने खुद 12.02.2012 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। अनुसंधान के क्रम में घटना के दिन ही उन्होंने पुनः सूचक का बयान दर्ज किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा गवाह विपत राम, रामायण राम, रामानंद राम का बयान दर्ज किया। तत्पश्चात अभियुक्त मुनीलाल ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर, मनोज ठाकुर, इंद्रासन ठाकुर, भरत ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मृतक का मोबाइल डिटेल प्राप्त किया गया। डिटेल के आधार पर सुनील राम सहित अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। सुनील राम की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियुक्तों के इकबालिया बयान भी दर्ज किए गए। उनके बयान के आधार पर मृतक का सिर भी बरामद किया गया। पुनः अन्य गवाह भिखारी यादव, सत्यानंद तिवारी, नागेंद्र राम, नगीना राम का बयान लिया गया तथा हत्या में शामिल अभियुक्त संतोष राम को गिरफ्तार किया गया। संतोष के इकबालिया बयान तथा सुराग के आधार पर मृतक का चप्पल बरामद किया गया। पर्यवेक्षण नोट प्राप्त होने के

पश्चात अभियुक्त महेंद्र राम को रिमांड पर लिया गया तथा उसके इकबालिया बयान के आधार पर मृतक का मफलर बरामद किया गया। उसने यह भी बयान दिया कि उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। उसने अभियुक्त शिव राम को रिमांड पर लिया तथा उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया। अंततः गवाहों के बयान के आधार पर दिनांक 12.05.12 को अभियुक्त महेंद्र राम, शिव राम, सुनील राम, संतोष राम के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। उसने आरोप पत्र पर अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान की, जो प्रदर्श-4 के रूप में अंकित हुआ। आरोप पत्र के गवाह के हस्ताक्षर प्रदर्श 4/ए के रूप में अंकित था।

11.1 उसने घटनास्थल का विशद वर्णन किया है तथा बताया है कि धनौती नदी के किनारे तक दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर खून के निशान पाए गए थे। धनौती नदी के किनारे एक सिर विहीन शव पाया गया था। उसने न्यायालय में खड़े होकर अभियुक्त संतोष राम, महेंद्र राम एवं सुनील राम को पहचाना।

11.2. पी.डब्लू. 4 ने मृतक के जब्त मोबाइल फोन के संबंध में दिनांक 24.02.12 की जब्ती सूची पर अपना हस्तलेख एवं हस्ताक्षर अंकित किया, जो अभियुक्त सुनील राम के सुराग के आधार पर रानी छाबड़ी चिमनी से बरामद किया गया था। इस जब्ती सूची को प्रदर्श 5 के रूप में अंकित किया गया है तथा इस पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श 5/3 के रूप में अंकित किया गया है। इसी प्रकार अपराध में प्रयुक्त चाकू की जब्ती के संबंध में दिनांक 24.02.12 की जब्ती सूची को प्रदर्श 6 के रूप में अंकित किया गया है तथा साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श 6/3 के रूप में अंकित किया गया है। चाकू भी सुनील राम की निशानदेही पर बरामद किया गया। मृतक लखानी निवासी के चप्पल की जब्ती के संबंध में दिनांक 24.02.12 की जब्ती सूची भी अभियुक्त संतोष राम की निशानदेही पर जमुनिया कब्रिस्तान के दक्षिणी झाड़ी से बरामद की गई। जब्ती सूची को प्रदर्श-7 के रूप में अंकित किया गया है तथा साक्षी के हस्ताक्षर

को प्रदर्श-7/ए के रूप में अंकित किया गया है। अभियुक्त महेंद्र राम की सूचना पर जमुनिया कब्रिस्तान के निकट उत्तरी खाई से बरामद मफलर की खोज के लिए दिनांक 16.03.12 को अभिलेख पर एक अन्य जब्ती सूची को प्रदर्श-8 के रूप में अंकित किया गया है तथा उस पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श-8/ए के रूप में अंकित किया गया है। उन्होंने यह बयान दिया कि सभी जब्ती सूची घटनास्थल पर ही स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तैयार की गई थी। उन्होंने बरामद सिर की जांच भी 24.02.2012 को स्वयं के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर से तैयार की। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि चार व्यक्तियों, अर्थात् महेंद्र राम, शिव राम, सुनील राम और संतोष राम ने मिलकर 12.02.2012 को सीताराम राम की हत्या कर दी थी, क्योंकि मृतक का महेंद्र राम की दूसरी पत्नी से प्रेम संबंध था और सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया।

11.3. अपने जिरह में पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया कि उन्होंने जांच प्रक्रिया में मृतक की पत्नी का बयान दर्ज नहीं किया है। उन्होंने यह बयान दिया कि अपने पुनः बयान में सूचक ने कहा है कि मृतक सीताराम के मोबाइल नंबर 9801222462 से मोबाइल नंबर पर कॉल आया था। 7739427051 पर सूचक की पत्नी संकेसा देवी का बयान दर्ज किया गया। मृतक ने दबी आवाज में कहा कि जमीन विवाद के कारण वे उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और मोबाइल बंद हो गया। पी.डब्लू. 4 ने बयान दिया है कि उसने सूचक की पत्नी संकेसा देवी का बयान दर्ज नहीं किया है और न ही संकेसा देवी के मोबाइल नंबर का विवरण प्राप्त किया है। मृतक के मोबाइल फोन के कॉल विवरण की प्रतिलिपि प्राप्त की गई थी और केस डायरी के साथ संलग्न है, लेकिन केस डायरी में इसे दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने केस डायरी में सिम प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन संलग्न नहीं किया।

11.4 पी.डब्लू. 4 ने अपने जिरह में आगे बयान दिया है कि अपने पुनः बयान में सूचक ने कहा है कि उसकी पत्नी संकेसा के मोबाइल नंबर पर शाम लगभग 7:30 बजे उसके

घर पर कॉल आई थी। हालांकि, पी.डब्लू. 4 द्वारा कॉल डिटेल नहीं ली गई। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि उन्होंने सी.डी. के पैरा 10 में रामनाथ राम का बयान दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका दृढ़ विश्वास है कि पुराने भूमि विवाद के कारण अभियुक्तों ने आपसी मिलीभगत से मृतक की हत्या की है। यह भी दर्ज है कि पहले भी इसी भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। हालांकि, पी.डब्लू. 4 ने जांच के दौरान भूमि विवाद के बिंदु पर जांच नहीं की।

11.5. अपने जिरह के पैरा 25 में पी.डब्लू. 4 ने बयान दिया है कि उन्होंने बरामद चाकू के बारे में नहीं लिखा है और न ही यह दर्ज किया है कि उस पर खून के धब्बे थे या नहीं और न ही उन्होंने उस चाकू की जांच कराई है।

11.6. अपनी जिरह के पैरा 26 से 29 में पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि सूचक ने स्वयं यह पहचाना कि शव और सिर एक ही व्यक्ति के हैं और यह कि कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई कि दोनों शरीर के अंग एक ही व्यक्ति के हैं। यद्यपि जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन जांच में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बरामद सिर की खाल छीली गई थी। यद्यपि केस डायरी में उस स्थान का उल्लेख किया गया है, तथापि पी.डब्लू. 4 ने उस स्थान की सीमाओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया है जहां से सिर बरामद किया गया था।

11.7. अपनी जिरह के पैरा 30 में पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि सिर को नदी के अंदर गड्ढा खोदकर दफनाया गया था, जिसे सुनील राम ने स्वयं निकाला था, जहां 2-2 1/2 फीट पानी था। पी.डब्लू. 4 ने डायरी में यह दर्ज नहीं किया है कि सिर पर मिट्टी थी, उसने डायरी में केवल यह उल्लेख किया है कि उसे यह नदी के उत्तरी किनारे पर मिट्टी में दबा हुआ मिला।

11.8. अपनी जिरह के पैरा 31 में पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि बरामद सामान अदालत में उसके सामने नहीं है। उसने जब्त चाकू पर कोई निशान नहीं दिया है, जो थाने के *मालखाने* में रखा हुआ था।

11.9. अपनी जिरह के पैरा 32 से 34 में पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि उसने गवाहों के बयान दर्ज करने का समय नहीं बताया है। उसने केवल गिरफ्तार अभियुक्तों के इकबालिया बयान दर्ज किए हैं, लेकिन उनका बचाव बयान नहीं लिया है। उसने अभियुक्त सुनील की गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ मौजूद सशस्त्र कर्मियों के नाम केस डायरी में दर्ज नहीं किए हैं।

11.10. अपनी जिरह के पैरा 35 में पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि उसने उन पड़ोसियों के बयान नहीं लिए, जहां वह छापेमारी करने गया था और न ही उसने ईंट भट्टे पर रहने वाले लोगों के बयान लिए। उन्होंने बरामद सिम के संबंध में जांच की थी, जो शिवपूजन राम के नाम पर थी, जो सुनील का भाई है।

11.11. अपनी जिरह के पैराग्राफ 39 में पीडब्लू 4 ने यह बयान दिया है कि उन्होंने महेंद्र राम की दूसरी पत्नी का बयान दर्ज नहीं किया था और न ही केस डायरी में उसका नाम दर्ज किया था।

11.12. अपनी जिरह के पैराग्राफ 40 से 42 में पीडब्लू 4 ने यह बयान दिया है कि उन्होंने मोबाइल विवरण प्राप्त करने के लिए दिए गए अनुरोध पत्र की प्रति संलग्न नहीं की थी और न ही उन्होंने केस डायरी में सिम नंबर 8757624376 के कॉल विवरण का उल्लेख किया था, हालांकि उन्होंने इसे प्राप्त किया था। उन्होंने मृतक के मोबाइल का आईएमईआई नंबर भी नहीं बताया है, हालांकि उन्होंने जांच के दौरान इसे प्राप्त किया था।

11.13. अपनी जिरह के पैराग्राफ 45 में, दिए गए सुझाव के अनुसार, पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि यह सच नहीं है कि चूंकि मृतक के मोबाइल फोन का आई.एम.ई.आई. नंबर, जिसे कथित रूप से जब्त किया गया था, जांच के दौरान नहीं मिला, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जब्त मोबाइल फोन मृतक का था।

11.14. अपनी जिरह के पैराग्राफ 46 से 50 में, पी.डब्लू. 4 ने यह बयान दिया है कि जब्त चाकू को जांच के लिए एफ.एस.एल. नहीं भेजा गया और न ही बरामद सिर को बरामद शव से जोड़ने के लिए कोई डी.एन.ए. परीक्षण या कोई विशेष परीक्षण किया गया। जांच के दौरान जब्त सामग्री को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। कथित रूप से जब्त मोबाइल फोन को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मृतक के शरीर से बरामद किसी भी कपड़े पर खून के धब्बे का विवरण नहीं है। घटनास्थल से खून की कोई जब्ती सूची तैयार नहीं की गई है।

11.15. अंत में, पी.डब्लू. 4 ने अपनी जिरह में यह बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि उनके द्वारा की गई जांच त्रुटिपूर्ण है तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

12. पी.डब्लू. 5 एवं 6 ने बयान दिया है कि वे जांच अधिकारी के साथ घटनास्थल पर गए थे तथा उन्हें पता चला कि मृतक की हत्या भूमि विवाद के कारण की गई थी तथा वहां से सिर कटा शव बरामद किया गया था।

13. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। इससे पता चलता है कि सूचना देने वाले पी.डब्लू. 3 ने 12.02.2012 को रात्रि लगभग 09.10 बजे अपना *फर्दबयान* दिया था। *फर्दबयान* में कहा गया है कि शाम करीब साढ़े सात बजे उसके भाई सीताराम ने अपने मोबाइल से सूचक के मोबाइल पर फोन कर बताया कि भूमि

विवाद के कारण उसकी हत्या की जा रही है। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद सूचक ने अपने भाई से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद वह बाजार पहुंचा और खोजबीन के दौरान धनौती नदी के पास उसके भाई की सिर कटी लाश पड़ी मिली। सूचक ने यह भी बयान दिया है कि अयोध्या ठाकुर व अन्य तथा सूचक के पिता के बीच 40 वर्षों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था और दोनों पक्षों के बीच संबंधित न्यायालय में टाइटल सूट लंबित था और उक्त विवाद के कारण 01.02.2012 को मारपीट हुई थी। तत्पश्चात दिनांक 12.02.2012 को मुखिया एवं सरपंच की उपस्थिति में पंचायत में विवाद का निपटारा हुआ तथा उसी दिन संध्या में घटना घटित हुई। अतः उनका दृढ़ विश्वास है कि फर्दबयान में नामजद 17 अभियुक्तों ने ही उनके भाई की हत्या की है।

14. पी.डब्लू. 1 डॉ. अशोक कुमार चौधरी द्वारा दिए गए बयान से यह भी पता चलता है कि दिनांक 24.02.2012 को अर्थात् घटना की तिथि से 11 दिनों के पश्चात उन्होंने पोस्टमार्टम किया। यह देखना प्रासंगिक है कि उक्त डॉक्टर ने कंडिका 2 में उल्लेख किया है कि बाह्य परीक्षण में सिर, चेहरे एवं गर्दन पर केवल काले बाल थे, गर्दन से दुर्गंध आ रही थी तथा बीच के भाग पर 6″ x 4-1/2″ x हड्डी का एक घाव पाया गया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक का सिर दिनांक 24.02.2012 को बरामद होने के पश्चात उसे पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर के पास भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त डॉक्टर ने मृतक के शरीर के शेष भाग का पोस्टमार्टम नहीं किया तथा ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे यह पता चले कि शरीर के शेष भाग का पोस्टमार्टम किसी डॉक्टर द्वारा किया गया था।

15. अभि0सा0 2, नागेन्द्र राम ने यद्यपि मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि जब्ती सूची में उसके अंगूठे का निशान लिया गया था, जिसमें यह उल्लेख था कि

घटनास्थल से लखानी कंपनी की एक हवाई चप्पल जब्त की गई थी, जिरह के पैरा 6 में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि उसकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने मृतक की तथाकथित चप्पल जब्त किए जाने का पूर्ण समर्थन नहीं किया है।

16. पी.डब्लू. 3, नगीना राम सूचक है तथा मृतक का भाई है। इस साक्षी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि वह विचाराधीन घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा अभियुक्तगणों से भूमि विवाद के कारण उसने संदेह के आधार पर अभियुक्त का नाम बताया था। तथापि अब उसका अभियुक्तगणों से कोई विवाद नहीं है तथा वह कार्यवाही जारी रखने में रूचि नहीं रखता है। उसने कंडिका 9 में आगे स्वीकार किया है कि दरोगा जी द्वारा उसे फर्द बयान नहीं पढ़कर सुनाया गया तथा उसे उक्त चप्पल के बारे में जानकारी नहीं है।

17. अब अभियोजन पक्ष द्वारा एकमात्र साक्षी जिस पर मुख्य रूप से भरोसा किया गया है, वह है पी.डब्लू. 4, अन्वेषण अधिकारी, जिसने जांच की है। उक्त साक्षी द्वारा दिए गए बयान से यह प्रतीत होता है कि जांच के दौरान सूचक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, उसने अभियुक्तों को अलग-अलग तिथियों पर गिरफ्तार किया तथा सभी अभियुक्तों के इकबालिया बयान उसके द्वारा दर्ज किए गए। उक्त साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर चप्पल बरामद की गई। तत्पश्चात अभियुक्त महेंद्र राम के इकबालिया बयान के आधार पर मृतक का मफलर बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त सुनील राम के इकबालिया बयान के आधार पर चाकू बरामद किया गया तथा तत्पश्चात सुनील राम के इकबालिया बयान के आधार पर मृतक का सिर बरामद किया गया। हालांकि, इस स्तर पर यह देखना प्रासंगिक है कि जिरह के दौरान उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने सभी जब्ती सूचियों पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर प्राप्त किए थे, हालांकि, जब्ती सूची के गवाह पीडब्लू 2 को छोड़कर, जब्ती

सूची के किसी भी स्वतंत्र गवाह से अभियोजन द्वारा पूछताछ नहीं की गई, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त साक्षी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि उसकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस प्रकार, जांच अधिकारी के बयान के अलावा, मृतक से संबंधित कुछ वस्तुओं के साथ-साथ हत्या के हथियार और मृतक के सिर की तथाकथित जब्ती के समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। उक्त गवाह की जिरह से यह भी पता चलता है कि जांच अधिकारी ने मृतक के मोबाइल फोन और सूचक की पत्नी के मोबाइल फोन का कॉल विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस स्तर पर, यह दर्ज किया जाना आवश्यक है कि सूचक का मामला यह है कि शाम 07.30 बजे, उसके भाई (मृतक) ने उसके मोबाइल फोन से उसके मोबाइल फोन पर कॉल किया और बताया कि भूमि विवाद के कारण उसकी हत्या की जा रही है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक ने अंततः अपने भाई यानी सूचक को कॉल करके घटना की जानकारी दी थी।

18. इससे यह भी पता चलता है कि जिरह के पैरा 25 में पी.डब्लू. 4 ने माना है कि उसने केस डायरी में यह नहीं बताया है कि चाकू पर खून का धब्बा था या नहीं और उसने चाकू को आवश्यक जांच के लिए नहीं भेजा था। उसने पैरा 27 में यह भी माना है कि मृतक का खोजा गया सिर और शरीर का दूसरा हिस्सा एक ही व्यक्ति का था या नहीं, इसकी चिकित्सकीय जांच/पुष्टि नहीं की गई है। उसने यह भी माना है कि जो सिर मिला था, उसकी त्वचा उखड़ गई थी। पैरा 46 में उसने एक बार फिर यह माना है कि जब्त चाकू को जांच और शव और सिर को जोड़ने के लिए एफ.एस.एल. नहीं भेजा गया था। उसने यह भी माना कि न तो डी.एन.ए. परीक्षण किया गया और न ही कोई विशेष परीक्षण किया गया। उसने पैरा 50 में यह भी माना है कि उसने घटनास्थल से कोई खून जब्त नहीं किया था।

19. हमारा मानना है कि मृतक के सिर और सामान की खोज विधिवत साबित नहीं हुई है। परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या की है।

20. अभियोक्ता 5 और 6 अन्य पुलिस अधिकारी हैं। उनके बयान अभियोजन पक्ष के मामले में किसी भी तरह से सहायक नहीं हैं।

21. इस स्तर पर, यह देखना उचित है कि सूचक ने फर्द-बयान में ही स्पष्ट रूप से कहा है कि भूमि विवाद के कारण, प्रश्नगत घटना घटित हुई और यह विशिष्ट मामला है कि जब उसके भाई (मृतक) ने शाम 07.30 बजे उसके मोबाइल फोन पर कॉल किया, तो मृतक ने स्वयं बताया कि भूमि विवाद के कारण उसकी हत्या की जा रही है। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, जांच अधिकारी ने मुख्य परीक्षा के पैरा 17 में यह बयान दिया है कि चूंकि मृतक और अभियुक्त महेंद्र राम की दूसरी पत्नी के बीच प्रेम संबंध था, इसलिए प्रश्नगत घटना घटित हुई। इस प्रकार, जांच अधिकारी ने आरोपी महेंद्र राम पर आरोप लगाया है कि वह मृतक और उसकी दूसरी पत्नी के बीच प्रेम संबंध के कारण रंजिश रखता था। हालांकि, अभियोजन पक्ष मृतक की हत्या करने के लिए आरोपी की ओर से उक्त तथाकथित मकसद को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा है। अन्यथा, पक्षों के बीच भूमि विवाद के संबंध में भी, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और इसलिए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष मृतक की हत्या करने के लिए आरोपी की ओर से मकसद साबित करने में विफल रहा है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मकसद महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष उक्त पहलू को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

22. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसकी रिपोर्ट

(1984) 4 एससीसी 116 में दी गई है, जिसमें पैराग्राफ 150 से 160 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"150. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और यह बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत नहीं प्राप्त कर सकता है। यह एक सामान्य कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में यही माना गया है कि जहां एक श्रृंखला में विभिन्न कड़ियां अपने आप में पूर्ण हैं, वहां न्यायालय को आश्वासन देने के लिए ही झूठी दलील या झूठे बचाव का सहारा लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त कड़ी का उपयोग करने से पहले यह साबित करना होगा कि श्रृंखला की सभी कड़ियां पूर्ण हैं और उनमें कोई कमी नहीं है। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी या कमी है, उसे झूठे बचाव या ऐसी दलील से ठीक किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है जिसे न्यायालय स्वीकार नहीं करता।

151. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एससीआर 1091: (एआईआर 1952

एससी 343) है। इस मामले का इस न्यायालय द्वारा बाद में लिए गए अनेक निर्णयों में समान रूप से अनुसरण और अनुप्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1969) 3 एससीसी 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1972 एससी 656 के मामले। महाजन, जे. ने हनुमंत के मामले में (एआईआर के पृष्ठ 345-46 पर) (सुप्रा) में जो निर्धारित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है:

"यह याद रखना अच्छा है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। फिर से, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि साबित किए जाने वाले प्रस्तावित एक को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर रखा जा सके। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसा होना चाहिए कि यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

152. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह स्थापित होनी चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियों को 'स्थापित किया जाना चाहिए' न कि 'स्थापित किया जा सकता है'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793: (एआईआर 1973 एससी 2622) में माना था, जहां टिप्पणियां की गई थीं:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए और न केवल दोषी हो सकता है, बल्कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त

के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

153. ये पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत के पंचशील का गठन करते हैं।

154. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में सबूत के तरीके के संबंध में, कॉर्पस डेलिक्टी की अनुपस्थिति में, इसके सबूत के रूप में कानून का कथन ग्रेसन, जे. (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमत) द्वारा किंग बनाम होरी, (1952) एनजेडएलआर 111 में निर्धारित किया गया था, इस प्रकार:

"इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध

के किए जाने को नैतिक रूप से निश्चित बनाती हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती हैं: परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने ठोस और सम्मोहक होने चाहिए कि जूरी को यह विश्वास दिलाया जा सके कि हत्या के अलावा किसी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना के आधार पर तथ्यों को नहीं माना जा सकता है।"

155. लॉर्ड गोडार्ड ने 'नैतिक रूप से निश्चित' अभिव्यक्ति को 'ऐसी परिस्थितियों से' जो अपराध के किए जाने को निश्चित बनाती हैं' द्वारा थोड़ा संशोधित किया।

156. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत को इंगित करता है कि किसी मामले को तभी साबित कहा जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट सबूत हों और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक विश्वास के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। होरी के मामले (सुप्रा) को इस न्यायालय ने अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य, (1960) 2 एससीआर 460: (एआईआर 1960 एससी 500) में मंजूरी दी थी। लागू के मामले और हनुमंत के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का इस न्यायालय के सभी बाद के निर्णयों में बिना किसी अपवाद के समान रूप से और लगातार पालन किया गया है। कुछ मामलों का उदाहरण देते हैं - तुफैल मामला (1969) 3 एससीसी 198 (सुप्रा), रामगोपाल का मामला (एआईआर 1972 एससी 656) (सुप्रा), चंद्रकांत न्यालचंद सेठ बनाम बॉम्बे राज्य (आपराधिक अपील संख्या 120/1957 19-2-1958 को तय), धर्मबीर

सिंह बनाम पंजाब राज्य (आपराधिक अपील संख्या 98/1958 4-11-1958 को तय)। ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां हालांकि हनुमंत के मामले पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है और दोहराया गया है, जैसे नसीम अहमद बनाम दिल्ली प्रशासन, (1974) 2 एससीआर 694 (696) : (एआईआर 1974 एससी 691 पृष्ठ 693 पर), मोहन लाल पंगासा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1974 एससी 1144 (1146), शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1981) 2 एससीआर 384 (390) : (एआईआर 1981 एससी 765 पृष्ठ 767 पर) और एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1963) 2 एससीआर 405 (419) : (एआईआर 1963 एससी 200 पृष्ठ 206 पर) पांच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

157. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य, (1955) 2 एससीआर 570 (582) : (एआईआर 1955 एससी 801 पृष्ठ 806 पर) के निर्णय पर भरोसा करते हुए बहुत ही दमदार तर्क प्रस्तुत किया है, ताकि उनके तर्क को पूरक बनाया जा सके कि यदि बचाव पक्ष का मामला झूठा है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रति सम्मान के साथ हम उनके द्वारा

उपरोक्त मामले की दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है:

"लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर बताए गए विभिन्न लिंक संतोषजनक ढंग से बनाए गए हैं और परिस्थितियां उचित निश्चितता के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतक के निकटता के साथ अपीलकर्ता को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं। स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।"

158. यह देखा जाएगा कि स्पष्टीकरण के अभाव या झूठे स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने माना कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा पहले कही गई बातों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात झूठे स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने से पहले, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ संतोषजनक रूप से साबित हो गई हैं,

(2) उक्त परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को उचित निश्चितता के साथ इंगित करती हैं, और

(3) परिस्थितियाँ समय और स्थिति के निकट हैं।

159. यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी न्यायालय झूठे स्पष्टीकरण या झूठे बचाव को न्यायालय को आश्वासन देने के लिए अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है। मामले के इस पहलू की जांच शंकरलाल के मामले (एआईआर 1981 एससी 765) (सुप्रा) में की गई थी, जहां इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी:

"इसके अलावा, बचाव का झूठापन उन तथ्यों के सबूत का स्थान नहीं ले सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना होता है। एक झूठी दलील को एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं।"

160. इसलिए, इस न्यायालय ने हनुमंत के मामले (एआईआर 1952 एससी 343) (सुप्रा) में निर्धारित पांच शर्तों से किसी भी तरह से विचलन नहीं किया है। दुर्भाग्य से, हालांकि, उच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय को गलत समझा है और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथाकथित झूठे बचाव को श्रृंखला से जुड़ी अतिरिक्त परिस्थितियों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया है। परिस्थितियों की अपूर्ण श्रृंखला और ऐसी परिस्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो श्रृंखला पूरी होने के बाद, केवल न्यायालय के निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए जोड़ी जाती है। जब अभियोजन पक्ष हनुमंत के मामले

में निर्धारित किसी भी आवश्यक सिद्धांत को साबित करने में असमर्थ है, तो उच्च न्यायालय झूठे बचाव या झूठी दलील का सहारा लेकर या उसका सहारा लेकर कमजोरी या कमी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए, हम अतिरिक्त महाधिवक्ता के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी से यह कहा जा सकता है कि कुछ आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए ताकि अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सके, न कि केवल दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। हमने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तर्कों पर भी गौर किया है और हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ विवादित निर्णय और सजा का आदेश पारित करते समय गंभीर गलती की है। इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

25. तदनुसार, नौतन (जगदीशपुर) थाना कांड संख्या 36/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 444/2012 के संबंध में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चंपारण द्वारा पारित दिनांक 14.11.2017 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 22.11.2017 का सजा आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

26. अपीलकर्ता संख्या 1, 2 तथा 4, अर्थात् महेंद्र राम, संतोष राम तथा शिव राम, क्रमशः जमानत पर हैं। उन्हें उनके संबंधित जमानत-बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 3, अर्थात् सुनील राम, हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तत्काल जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

27. वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।